VISION IAS

VISION IAS
31 JUL 2018
SUBMITTED IN 3 HOURS
RECEIVED

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1067)

Name of Candidate	Kanta Dangiu		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	42370
Center	Mukharjee Nagar	Date	31/07/18

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे है।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए है।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

M-1/4, Plot No-A-12/13, Ist Floor, Ansal Building, Dr. Vidya Sagar Homeopathic Clinic, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What is the role that opposition plays in a democracy like India? In this context, discuss whether our Parliament can benefit from a shadow cabinet. **(150 words)** 10

भारत जैसे लोकतंत्र में विपक्ष क्या भूमिका निभाता है? इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि क्या हमारी संसद छाया मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) से लाभान्वित हो सकती है।

भारतीय लोकतंत्र में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। सि. सी. राजगोपालाचारी ने भारतीय लोकतंत्र को 'वार्तालाप द्वारा सरकार' की संज्ञा दी है।

भारत में विपक्ष की भूमिका -

जनजागरूकता	कार्यपालिका पर नियंत्रण	संसदात्मक व्यवस्था की रक्षा
विधेयकों, बिलों, अध्यादेशों पर सार्वजनिक बहस के माध्यम से जनता को राजनीतिक मामलों की ज्ञान प्रदान करना यथा - नेहरू काल में विपक्ष की भूमिका।	- कार्यपालिका की तानाशाही पूर्ण नीतियों पर प्रतिबंध - कानून निर्माण में विशेषज्ञों के लाभ हेतु प्रयास करना। शीघ्रता को कम करना। यथा - भूमि अधिग्रहण बिल, 2013 पर विवाद	संसदीय उत्तरदायित्व की भावना कायम रखना यथा अनु. 75(3) - प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग करना यथा 1963 में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

छाया मंत्रिमण्डल

ब्रिटिश परम्परा के अन्तर्गत सरकार के साथ-साथ विपक्ष नियंत्रण व निरीक्षण हेतु छाया मंत्रिमण्डल की व्यवस्था करता है।

कैसे भारत में उपयोगी

- सरकार की नीतियों पर विशेषज्ञों की राय जानना
- अविश्वास प्रस्ताव के समय वैकल्पिक सरकार
- नीतियों, कानूनों के पक्ष, विपक्ष का सही मूल्यांकन
- राजनीतिक प्रतिरोधता की स्थिति में सहायक

भारत में संभावना

- विधि आयोग तथा संविधानिक सुधार आयोग द्वारा भारत में अविश्वास प्रस्ताव के समय शैडो कैबिनेट लाने की सिफारिश की गई थी

इस प्रकार विपक्ष की स्वस्थ राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Where there is a right, there is a remedy. In this context, discuss the nature and significance of writs in India with adequate examples. **(150 words) 10**

जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार भी है। इस संदर्भ में, यथोचित उदाहरणों के साथ भारत में रिटों की प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान के भाग - 3 में राजनीतिक मौलिक अधिकारों को दिया गया है जिसके अन्तर्गत अनु. 14 से अनु. 30 तक विभिन्न अधिकार भारतीय नागरिकों व विदेशियों को दिये गये हैं।

भारत में मूल अधिकार

समता का अधिकार	स्वतंत्रता का अधिकार	शोषण के विरुद्ध	धार्मिक स्वतंत्रता	अल्पसंख्यक	रिट अधिकार
अनु. 14-18	अनु. 19-22	अनु 23-24	अनु 25-28	अनु 29-30	अनु - 32

उपचारात्मक प्रावधान

डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा 'रिट अधिकार को 'सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार' बताया है। भारतीय संविधान के अनु. 32 व अनु. 226 (उच्च न्यायालय) के माध्यम से मूल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अधिकारों के उल्लंघन तथा हनन के सम्बन्ध में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है।

रिटों के प्रकार

बंदी प्रत्यक्षीकरण - सम्बन्धित व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक

परमादेश - 'हम आदेश देते हैं' अर्थात न्यायालय द्वारा किसी कार्य हेतु आदेश दिया जाना

उत्प्रेषण - न्यायालय द्वारा निचली अदालतों की कार्यवाही रोककर अपने पास मंगवा लेना

अधिकार पृच्छा - 'किसी अधिकारी की किसी कारवाई पर अधिकार के विषय में पूछ'

प्रतिषेध - न्यायालय द्वारा निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा देना।

संविधानवाद - महत्व - लोकतंत्र प्रहरी; मूल अधिकारों की रक्षा; न्यायिक स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार की रक्षा

इस प्रकार न्यायालय रिट अधिकारों के माध्यम से मूल अधिकारों की वास्तविकता बनाये रखने में सक्षम है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Enumerate the objectives of NITI Aayog. Also, discuss the performance of this body since its inception and suggest measures to make it more effective. **(150 words)** 10

NITI आयोग के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, इसकी स्थापना के बाद से इस निकाय के प्रदर्शन की चर्चा कीजिए एवं इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइये।

नीति आयोग, (2015) सरकार द्वारा कार्यपालिकीय आदेशों के माध्यम से थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया।

उद्देश्य

- सहयोगी संघवाद की स्थापना करना
- राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहन - प्रतिस्पर्धी संघवाद
- सरकार तथा राज्यों सभी को नीति निर्माण व क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
- विशेषज्ञों के साथ लेकर क्षेत्रानुसार कार्यक्रम अपनाना 'थिंक अप फ्रंट'

नीति आयोग का प्रदर्शन

- नीतिगत प्रदर्शन.
  सरकार को नीतिगत कुशलता प्रदान करना यथा . आकांक्षा जिला

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्यक्रम, विदेशों से विशेषज्ञों की सहायता लेना (ब्रज योजना), लोकल (ग्री) का सुझाव

प्रशासनिक प्रवृत्ति – विभिन्न योजनायें यथा अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा।
– कौशलयुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा – डिजी धनयोजना

थिंक टैंक के रूप में – सरकार की विभिन्न मामलों में सलाह प्रदान करना।
यथा My Gov.in, इनोवेट इंडिया

सहयोगी व प्रतिस्पर्धी संघवाद – विभिन्न इंडेक्स के माध्यम से प्रतिस्पर्धा का वातावरण सृजन यथा कम्पोजिट वाटर इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

चुनौतियाँ

- केवल सलाहकारी शक्तियाँ, बाध्यकारी नहीं।
- प्रशासनिक क्षमता को और तथा सरकार पर निर्भरता
- थिंक टैंक के रूप में, स्वयं नीतिगत पहल नहीं कर सकता।

सुझाव

- नीति आयोग को युवा आकांक्षाओं के अनुरूप और अधिक पारदर्शी, जनुस्र बनाया जाये।
- नीतिगत पहलों को बढ़ावा दिया जाये।
- राज्यों को सक्रिय सहयोग तथा समान अधिकार दिये जाने चाहिए।

इस प्रकार नीति आयोग अपने उद्देश्यों की सफलता की ओर अग्रसर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. In view of the political class's inability to develop and maintain conventions relating to the appropriate use of Article 356, the Supreme Court's decision in the Bommai case provided much needed clarity. Comment. (150 words) 10

अनुच्छेद 356 के उचित उपयोग से संबंधित परिपाटी विकसित करने और उसे बनाए रखने में राजनीतिक वर्ग की अक्षमता को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोम्मई वाद में दिए गए निर्णय ने अत्यावश्यक स्पष्टता प्रदान की है। टिप्पणी कीजिए।

भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था को के.सी. व्हेयर ने 'एकात्मक प्रवृत्तियों के साथ संघात्मक शासन' कहा है तथा अनु. 356 का प्रयोग इसी दिशा में उदाहरण है।

अनु. 356 का प्रयोग

- केन्द्र सरकार को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है इसके साथ ही अनु. 365 (राज्य सरकारों का केन्द्रीय निर्देशों के पालन में असफल रहना) भी पूरक के रूप में

अनु 356 : सम्बन्धित चिंतायें :-

डॉ. अम्बेडकर द्वारा अनु. 356 को 'मृत पत्र' के रूप में बताया था जिसका अत्यन्त कम प्रयोग किया जायेगा परन्तु पिछले 60 वर्षों में 100 बार से ज्यादा इसका उपयोग

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस सम्बन्ध में चिंता को बढाता है।

कारण

- राजनीतिक द्वेष
- विपक्ष तथा सरकार में सहयोग का अभाव
- कार्यपालिका की तानाशाही
- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग

बोम्मई वाद बनाम अनु. 356

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोम्मई वाद (1994) द्वारा अनु. 356 के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया तथा संघात्मक शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बनाया गया।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनु. 356 के सदुपयोग व दुरुपयोग में अंतर किया जाना चाहिये।
- केन्द्र सरकार को राष्ट्रपति शासन के आधारों को स्पष्ट करना होगा।

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश मामले में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनु. 356 के दुरुपयोग पर रोक तथा राज्य सरकार को पुनः बहाल किया गया।

पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी यही अनुशंसा की गई है परन्तु अभी भी पूर्ण अमल नहीं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Press freedom and good governance are not mutually exclusive. They support each other while promoting a country's economic and human development. Comment. **(150 words)** 10

प्रेस की स्वतंत्रता और सुशासन परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। देश के आर्थिक और मानव विकास को प्रोत्साहित करते हुए ये एक-दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं। टिप्पणी कीजिए।

प्रेस की स्वतंत्रता तथा सुशासन भारतीय लोकतंत्र तथा राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख नैतिक सिद्धान्तों में हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के अनु. 19 (1) (क) द्वारा सुनिश्चित किया गया है

हाल ही में पद्मावत मुद्दा, कुरान की पुस्तक पर रोक लगाने की मांग, NDTV पर बैन इत्यादि घटनाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता तथा सुशासन के सम्बन्धों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है

प्रेस की स्वतंत्रता व सुशासन : विरोधी क्यों?

भारतीय संविधान में 19(2), (19(3) तथा अन्य प्रावधानों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये गये हैं।

– भारत की एकता, अखण्डता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंध उचित।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- फेक न्यूज, पेड-न्यूज के सम्बन्ध में प्रतिबंध उचित
- मोब लिंचिंग तथा गाय आधारित अतिसक्रियतावाद तथा पॉर्न तथा स्त्री देह के गलत प्रस्तुतिकरण पर रोक उचित

प्रेस की स्वतंत्रता व सुशासन : संबंध

सामाजिक सुशासन
- अनु. 15 तथा अनु. 16 के तहत दिये गये समानता के अधिकार पर कोई बाधा आने पर प्रेस की स्वतंत्रता उचित यथा मीडिया द्वारा रोहित वेमुला, निर्भया केस के सम्बन्ध में

आर्थिक सुशासन
- सरकारी आर्थिक नीतियों तथा कार्यवाहियों का जनसामान्य पर प्रभाव तथा जनता को जागरूक करने में भूमिका यथा इनोवेट इंडिया, प्रगति एप का प्रचार प्रसार

संस्थागत सुशासन
- राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारों में प्रेस की भूमिका अहम यथा स्कूल चलें हम अभियान, दरवाजा बन्द अभियान इत्यादि।

इस प्रकार सुशासन व प्रेस की स्वतंत्रता को आपसी समझ से अधिकतम लोगों के हित का प्रयास करना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. SHGs have succeeded in delivering financial inclusion, but for them to evolve as viable business enterprise requires a different approach. Analyse in the context of the twin goals of rural growth and promotion of women's entrepreneurship. **(150 words)** **10**

SHGs ने वित्तीय समावेशन प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन उनके लिए व्यवहार्य व्यापार उद्यम के रूप में विकसित होने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास और महिला उद्यमिता के संवर्द्धन के जुड़वाँ लक्ष्यों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य, "स्वावलम्बन की भावना के साथ कुछ वर्गों तथा समूहों द्वारा सामूहिक हित की भावना से प्रयास करना है।"

SHG व वित्तीय समावेशन -

- SHG ने वित्तीय समावेशन विशेषकर महिलाओं के समावेशन पर जोर दिया है यथा - लिज्जत पापड़, SEWA इत्यादि
- SHG के माध्यम से बैंकों तक पहुँच, उत्पादों तक आसानी तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला है यथा केरल का कुडुम्बश्री कार्यक्रम.
- नाबार्ड के बैंक - एसएचजी लिंक प्रोग्राम (SHG) के माध्यम से सूक्ष्म वित्त, मुद्रा योजना तक समूहों का आकर्षण बना है

SHG के समक्ष चुनौतियाँ

- वित्त की कमी
- हालिया बिग बैंक लोन पश्चात विश्वास की कमी
- SHG में कुछ लोगों का प्रभुत्व
- बढ़ता गबन घाव यथा — आंध्रप्रदेश संकट 2010
- चुकाने की समस्याएं
- परम्परागत उद्योगों तक सीमित — जैसे बुनाई इत्यादि

SHG - दोहरा लक्ष्य

ग्रामीण विकास
- कृषि के सापेक्ष अन्य उद्योगों को बढ़ावा
- छुपी हुई बेरोजगारी दूर करना
- किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने में आवश्यक

महिला उद्यमिता
- महिलाओं की बैंक तक पहुँच
- महिला सम्मान, आत्मविश्वास, सशक्तिकरण को बढ़ावा
- महिला के आर्थिक हितों का सम्मान

क्या करना चाहिये

- SHG की उद्यमशीलता के नये क्षेत्रों की तलाश
- बैंकों से ज्यादा ऋण बिना
- SHG में विश्वास बहाली के प्रयास

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The focus of higher education in India has been on a select few Central or autonomous institutions where as the ones in states remain neglected. Commenting on the statement, highlight the significance of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in this context. **(150 words)** **10**

भारत में उच्च शिक्षा का ध्यान कुछ चुनिंदा केंद्रीय या स्वायत्त संस्थानों पर केंद्रित रहा है, जबकि राज्यों में स्थित संस्थान उपेक्षित रहे हैं। इस कथन पर टिप्पणी करते हुए, इस संदर्भ में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के महत्व पर प्रकाश डालिए।

हाल ही में नीति आयोग तथा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के अन्तर्गत कुछ शिक्षण संस्थाओं को विश्व स्तरीय वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा : चुनौतियाँ -

- भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति पर परिणाम अत्यन्त दयनीय है। टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है।
- ज्यादातर वित्तीय संसाधन केन्द्रीय संस्थानों तक ही सीमित हैं, राज्यों के संस्थान पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त नहीं। [केन्द्र-राज्य विवाद का कारण]
- हाल ही में HEFA तथा UGC के स्थान पर उच्चतर शिक्षा संस्थान HEC की स्थापना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस दिशा में प्रयास है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान : (RUSA)

- विश्वविद्यालयों तथा ~~महिला~~ महाविद्यालयों में अवसंरचना विकास
- छात्रवृत्ति तथा योग्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहन।
- रिसर्च तथा ~~...~~ विकास पर जोर देना

⇒ हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में बजट बढ़ोतरी का प्रावधान, ज्यादा स्वायत्तता।

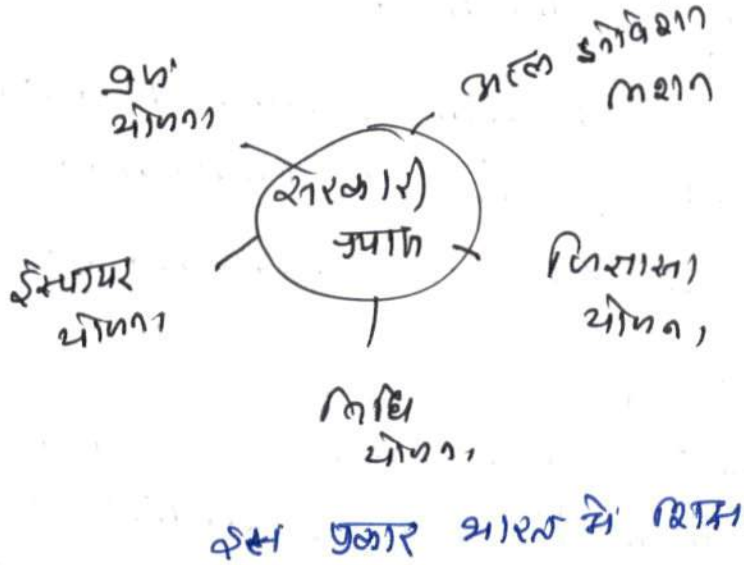

इस प्रकार भारत में शिक्षा की स्थिति सुधारने तथा ज्यादा सुधार हेतु केन्द्र-राज्यों को साझा प्रयासों की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Discuss the role played by PRIs in political empowerment of women. Also, suggest measures to further increase their political participation. **(150 words)** **10**

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में PRIs (पंचायती राज संस्थाएं) द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा कीजिए। साथ ही, उनकी राजनीतिक भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के उपाय सुझाइए।

पंचायती राज संस्थायें भारतीय लोकतंत्र में ~~द्वितीय~~ प्रथम पीढ़ी के सुधारों में शामिल हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

पंचायती राज संस्थायें व महिलायें

- **आरक्षण**
  - पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण
  - पंचायत के सदस्य तथा अध्यक्ष के पद दोनों पर आरक्षण।
- **चुनाव प्रक्रिया**
  - स्पष्ट चुनाव प्रक्रिया
  - हर 5 साल में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव
- **सामाजिक समावेशन**
  - महिलाओं के मुद्दों को वरीयता प्रदान
  - हाल में बिहार में शराब बंदी के मुद्दे पर
  - स्वच्छता, जेंडर बजटिंग जैसे मुद्दों पर जोर जैसे SBM
  - कई महिला सरपंच बेहतरीन कार्य - छवि राजावत (टोंक, राजस्थान)
- **सशक्तिकरण**
  - सशक्तिकरण, सुरक्षा, संधारणीय विकास को बढ़ावा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियां

- पुरुष प्रतिनिधित्व का अधिक होना यथा (सरपंच पति, प्रधान पति)
- महिलाओं में जागरूकता की कमी तथा अधिकारों की प्राप्ति की ललक का अभाव।
- सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं में जटिलता।

सुझाव

- सरकारी कार्यक्रमों को अधिक महिला-केन्द्रित बनाना चाहिये।
- महिला जागरूकता का प्रयास तथा महिला जनप्रतिनिधियों को शिक्षित करना यथा - महिला सरपंच कार्यक्रम, राजस्थान में सरपंचों की शिक्षा प्रावधान
- महिला सरपंचों का अन्य राज्यों व जिलों के साथ सम्पर्क बनाना यथा - हाल के प्रधानमंत्री द्वारा 2000 को महिला सरपंचों को गांधीनगर में सम्बोधित करना
- जेन्डर बजटिंग को ज्यादा प्रभावी बनाना।

इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय के सुधारों द्वारा अधिक सशक्त बनाना आवश्यक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. What is Strategic Autonomy? Critically examine the elements of such a policy in India's contemporary foreign policy in the context of recent developments. **(150 words)** **10**

रणनीतिक स्वायत्तता क्या है? हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत की समकालीन विदेश नीति में ऐसी नीति के तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

रणनीतिक स्वायत्तता से तात्पर्य,

" विदेश नीति में राष्ट्र हित के अनुसार नीति अपनाना तथा किसी अन्य देश की आलोचना, प्रशंसा से प्रभावित हुए बिना राष्ट्रीय सम्प्रभुता को सर्वोच्च स्थान देना "

समकालीन भारतीय विदेश नीति -

[अमेरिका] → अमेरिका द्वारा ईरान के प्रति भारतीय व्यापार को कम करने का दबाव डालना

- संरक्षणवादी नीतियों के माध्यम से भारत पर दबाव बनाना (H1B वीजा)
- रूस के प्रति सम्बन्धों पर नाराजगी

[रूस] - रूस के भारत के QUAD में शामिल होने
- अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों से बढ़ते व्यापार पर चिंता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इजरायल - फिलिस्तीन सम्बन्ध

- इजरायल भारत के विराष्ट्र सिद्धान्त के विरोध में
- महत्वपूर्ण देशों से बढ़ते सम्बन्धों पर टकराव

चीन सम्बन्ध

- चीन भारत के पड़ौसी का शत्रु पर शामिल न होना
- आसियान राष्ट्रों से बढ़ते सम्बन्धों पर
- हिन्द - प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका व जापान के साथ भागीदारी पर विवाद

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें

- पेरिस संधि का समर्थन किये जाने पर अमेरिका द्वारा विरोध
- अ. WTO जैसी संस्थाओं में भारत को पश्चिमी सहयोगी राष्ट्रों से विरोधाभासपूर्ण सम्बन्ध
- यूएन इत्यादि संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्न

भारत ने इन सभी परिस्थितियों में एंडारमनेटेड पॉलिसी को अपनाया है तथा राष्ट्रीय हितों तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. IBSA and BRICS are both examples of India's quest for multialignment, however there are key differences in their orientation. Discuss in the context of the relevance of these groupings for India. **(150 words) 10**

IBSA और BRICS दोनों भारत के बहुपक्षीय संरेखण (मल्टीएलाइन्मेंट) की तलाश के उदाहरण हैं, हालांकि उनके अभिविन्यास में मौलिक अंतर है। भारत के लिए इन समूहों की प्रासंगिकता के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

इब्सा एवं ब्रिक्स दोनों क्षेत्रीय संगठन दक्षिण-दक्षिण संवाद के उदाहरण है।

IBSA - BRICS : समानता

- भारत, चीन, द. अफ्रीका दोनों समूहों के सामान्य सदस्य
- बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना का उद्देश्य
- संरक्षणवाद के खिलाफ वैश्वीकरण तथा उदार नीतियों के हिमायती
- व्यापारिक गतिविधियों तथा बहुपक्षीय सहयोग पर बल

अभिविन्यास में अंतर

ब्रिक्स	इब्सा
व्यापार, सुरक्षा, शांति, सहमति निर्माण पर जोर	मुख्यतया व्यापार पर केंद्रित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भिन्न	समान
• पश्चिमी राष्ट्रों की भेदभावपूर्ण नीतियों का कड़ा विरोध (चीन-रूस-भारत धुरी)	- पश्चिमी राष्ट्रों का खुलकर विरोध नहीं (चीन-भारत-द. अफ्रीका धुरी)
• विश्व की सबसे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	• द. अफ्रीका की अर्थ. व्यवस्था में धीमी प्रगति
• समझौतों में विविधता यथा 2011 - ~~आतंकवाद~~ कोमोडिटी मुद्दा 2017 - आतंकवाद 2018 - अफ्रीका सहयोग	• समझौतों में विविधता नहीं

भारत के लिये प्रासंगिकता

राष्ट्रीय

- विकास की दर तीव्र करने
- सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग यथा (NDB व AIIB द्वारा)
- आतंकवाद के खिलाफ एक जुटता

अन्तर्राष्ट्रीय

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना
- वैश्विक संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण का प्रयास

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. What are the various modes of Alternate Dispute Redressal (ADR) mechanisms available in India? Identifying the problems being faced by them, provide suggestions needed to increase their effectiveness. **(250 words)** **15**

भारत में उपलब्ध वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) तंत्र के विभिन्न रूप क्या हैं? इनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की पहचान करते हुए, इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान कीजिए।

भारत में नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार ~~साढ़े चार लाख~~ ढाई करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं तथा प्रति 10 लाख पर जजों की संख्या केवल 18 है।

न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार का निस्तारण करने हेतु वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत

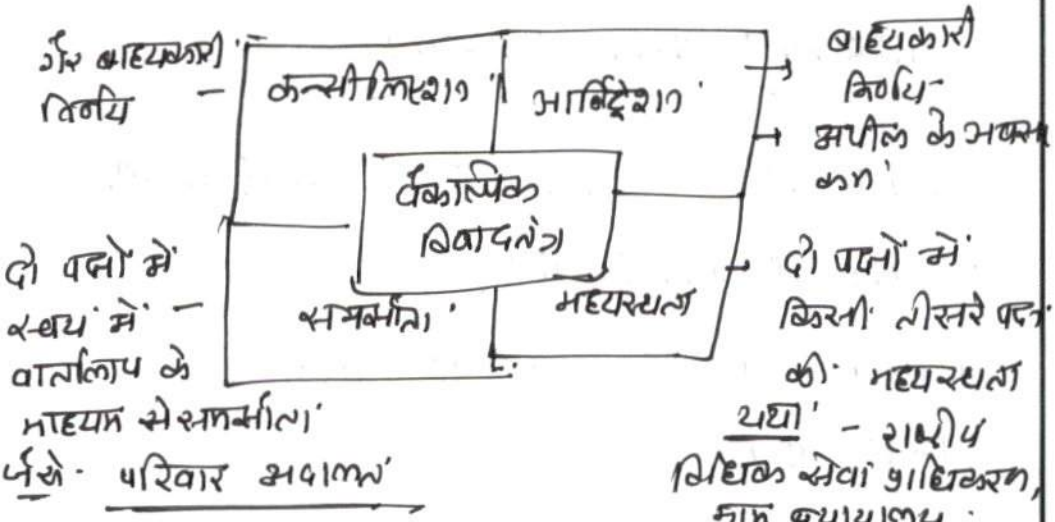

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वैकल्पिक विवाद तंत्र के सम्मुख समस्यायें -

- निर्णयों में देरी तथा निर्णयों के क्रियान्वयन में समय लगना यथा कावेरी ट्रिब्यूनल का फैसला 30 साल में आना
- गैर बाध्यकारी प्रावधानों के अमल कारण
- न्यायालय की श्रेणी बनना पर प्रश्न चिन्ह। चन्द्रकुमार केस (1997)
- गैर न्यायिक व्यक्तियों की उपस्थिति
- राजनीतिक हस्तक्षेप तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना यथा कैट, सैनिक ट्रिब्यूनल इत्यादि

प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

- न्यायिक तंत्र के समानान्तर न बनाकर सहयोगी के रूप में बनाया जाये।
- कार्यप्रणाली को स्पष्टतया परिभाषित किया जाये।

- और न्यायिक व्यक्तियों की संख्या सीमित की जाये।
- राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित किया जाये।
- वैकल्पिक विवाद तंत्र के सम्बन्ध में जागरूकता तथा प्रचार-प्रसार किया जाये यथा ग्राम पंचायतों को प्रचारित करना उदा० राजस्थान में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम।

वैकल्पिक विवाद तंत्र : उपयोगिता

- जागरूकता
- कम तकनीकी
- कम औपचारिकता
- शीघ्र न्याय

आगे की राह .

इस प्रकार वैकल्पिक विवाद तंत्र को न्यायिक परिदृश्य में सुधार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While the power to punish for the contempt of court is a much needed tool to protect the administration of justice from being maligned, it is time that it be relooked into. Critically analyse. **(250 words)** 15

हालांकि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्याय के प्रशासन को निन्दा से बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक उपकरण है, लेकिन समय आ गया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

हाल ही में जस्टिस कर्णन केस तथा चार न्यायाधीशों का प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करना न्यायपालिका में व्याप्त समस्याओं की ओर इंगित करता है

न्यायालय की अवमानना -

भारतीय संविधान में न्याय पालिका की स्वतंत्रता बनाये रखने हेतु न्यायालय को अनु. 129 (सुप्रीम कोर्ट) तथा अनु. 215 (उच्च न्यायालय) को अवमानना हेतु दण्डित करने की शक्ति दी गई है जिसके अन्तर्गत -

- न्यायालय की सिविल अवमानना
  - न्यायालय के निर्णयों को मानने से इंकार तथा डिक्री
- न्यायालय की क्रिमिनल अवमानना
  - न्यायालय के फैसलों की आलोचना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पुनर्विचार की आवश्यकता -

- भाषण एवं अभिव्यक्ति (अनु. 19) के बचाव हेतु
- स्वस्थ लोकतंत्र तथा जनभागीदारी लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु
- सकारात्मक आलोचना को भी कभी मान-हानि के नजरिये से देखा जाता है
- संविधानवाद को स्थापित तथा पुनर्जीवित करने की आवश्यकता

न्यायालय की अवमानना दण्डात्मक प्रावधान:

क्यों आवश्यक -

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायालय को लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में बनाये रखने हेतु
- न्यायपालिका की विश्वसनीयता के

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

तथा क्षमता में लोगों का विश्वास बनाये रखने हेतु।

- न्यायिक प्रक्रियाओं तथा निर्णयों की पालना हेतु प्रावधान

इस प्रकार संविधान द्वारा न्यायालय की स्वतंत्रता तथा क्षमता बनाये रखने हेतु अवमानना के प्रावधान हैं परन्तु इन्हें आवश्यक तथा अंतिम परिस्थिति में ही उपयोग किया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Criminalisation of politics remains a key concern for the Indian political system. In this context, analyse the role played by the Supreme Court and Election Commission over the years. Also, in what ways can the media play a positive role? **(250 words)** 15

राजनीति का अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। इस संदर्भ में, विगत वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, किस प्रकार मीडिया एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकता है?

PRS की रिपोर्ट अनुसार भारत में 16 वीं लोकसभा (2014) में लगभग 34% सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि से है।

राजनीति का अपराधीकरण से तात्पर्य

राजनीति में धन बल, बाहुबल तथा राजनीतिक प्रक्रिया को गैर संवैधानिक माध्यमों से प्रभावित करना है

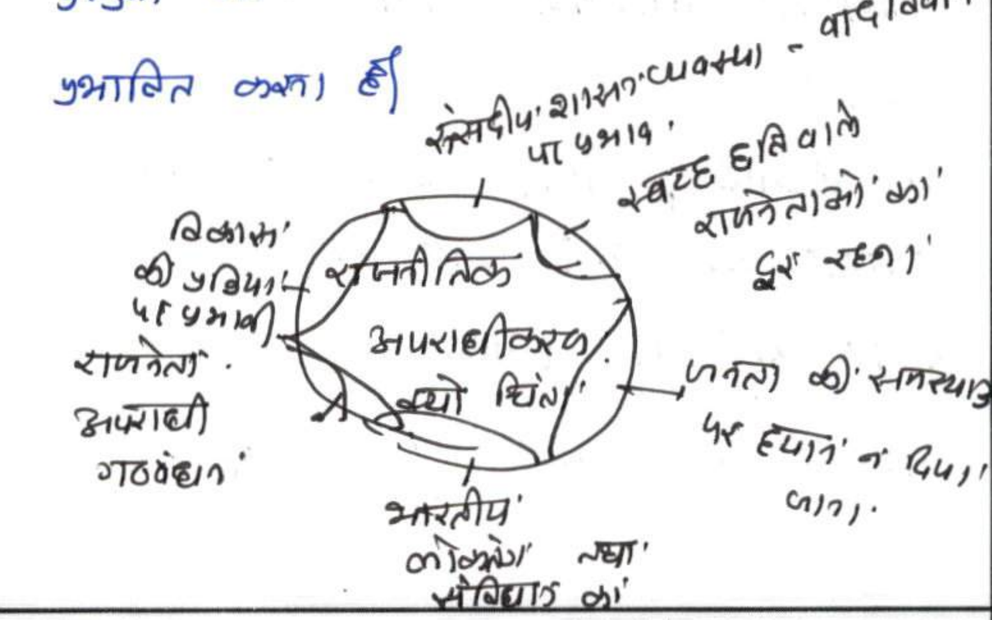

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजनीतिक अपराधीकरण रोकने में निर्वाचन आयोग की भूमिका .

- निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का प्रावधान
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अपराधिक छवि वाले नेताओं को निष्कासित करना। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार के दो मंत्रियों को निष्कासित करने की सिफारिश करना
- चुनाव प्रक्रिया हेतु पर्याप्त ~~कार्य बल~~ सुरक्षा तथा प्रशासनिक ~~अधिकारियों~~ अधिकारियों की नियुक्ति
- बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग में चुनाव निरस्त कर दुबारा चुनाव करना।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका.

- लोकप्रहरी बनाम भारत संघ वाद (2013) में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रत्याशियों के साथ-साथ परिवारजनों की सम्पत्ति उल्लेख भी आवश्यक

- जन चौकीदार केस में अपराधियों के चुनाव लड़ने में (अपराधी घोषित होने के बाद) रोक लगाना
- हाल ही में जन प्रतिनिधित्व अधि. 1951 की धारा 8 (4) को रद्द करना
- चुनाव में जाति, धर्म, वर्ग इत्यादि के नाम पर वोट मांगने पर रोक (हालिया निर्णय)

मीडिया की सकारात्मक भूमिका -

- चुनाव आचार संहिता तथा नियमों का प्रचार-प्रसार करना तथा जागरूकता सृजन, यथा स्वीप कार्यक्रम
- पेड न्यूज तथा फेक न्यूज जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में स्वनियमन का पालन
- सरकार का चुनाव प्रणाली को स्वस्थ तथा प्रतिस्पर्धा युक्त बनाने में सहयोग
- एग्जिट पोल तथा इत्यादि गतिविधियों से चुनावों को प्रभावित करने से रोकना।

इस प्रकार सभी हितधारक (चुनाव आयोग, न्यायालय, मीडिया, नागरिक समाज इत्यादि) के सहयोग व सामंजस्य से राजनीतिक अपराधीकरण पर रोक संभव।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Highlight, in brief, the mandate of the National Commission for Minorities (NCM). Identify the different challenges that the commission faces and suggest measures to address them. **(250 words)** 15

संक्षेप में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के अधिदेश पर प्रकाश डालिए। आयोग द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों की पहचान कीजिए और उनके समाधान करने के उपाय सुझाइए।

भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म निरपेक्षता को बनाये रखने तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। यह एक सांविधिक निकाय है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अधिदेश

- अल्पसंख्यकों के संबंध में रिपोर्ट राष्ट्रपति को
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हेतु सुझाव देना
- राष्ट्रपति द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु सौंपे अन्य कार्य
- अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अपराधों की जांच करना।
- अल्पसंख्यक कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें यथा उस्ताद योजना, 15 सूत्री कार्यक्रम

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अल्पसंख्यक आयोग : चुनौतियाँ

- सांविधिक निकाय होने के कारण सहयकारी सुझाव नहीं
- केवल सिविल न्यायालय की शक्तियां, दण्ड-त्मक प्रावधान नहीं
- अल्पसंख्यक आयोग की कार्यप्रणाली में स्वायत्ता का अभाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेप
- सदस्यो का कार्यकाल सरकार की इच्छा पर निर्भर
- स्वयं की प्रशासनिक जाँच तंत्र का अभाव
- देश विहीन तंत्र के समान

समाधान के उपाय -

संस्थागत सुधार -

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया जाये
- राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जाये

- अधिकारियों को समय पर जांच करने तथा समय पर आदेशों की पालना हेतु पाबन्द किया जाये।

- सामाजिक - आर्थिक सुधार -

  - अल्पसंख्यक आयोग पर पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाना चाहिये ताकि कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाई जा सके।

  - सरकार को अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में योजना निर्माण से पूर्व अल्पसंख्यक आयोग से सलाह लेनी चाहिए।

इस प्रकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वास्तविक अर्थ में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The recent decision of the government to open up positions at the senior levels in bureaucracy through lateral entry is an important but only small step in the direction of much needed reforms in the higher civil services. Analyse. **(250 words)** **15**

पार्श्व प्रवेश के माध्यम से नौकरशाही में वरिष्ठ स्तर के पदों को खोलने का सरकार का हालिया निर्णय उन्नतर सिविल सेवाओं में अति आवश्यक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण, किन्तु केवल एक छोटा-सा कदम है। विश्लेषण कीजिए।

हाल ही में नीति आयोग द्वारा नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश हेतु वकालत की गई है जिसके अंतर्गत कुछ उच्च पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सके।

पार्श्व प्रवेश से तात्पर्य नौकरशाही के दायरे से बाहर विषय विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने से है।

पार्श्व प्रवेश : कैसे आवश्यक -

- नौकरशाही में बढ़ रही लालफीताशाही तथा विशेषज्ञता की कमी को दूर करना
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ लेना - यथा भारत में 1991 के आर्थिक संकट के समय डॉ. मनमोहन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिंह ने ही उदारवादी क्षेत्र का रास्ता सुझाया था।

- सरकारी योजनाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाना तथा बहिर्वाह का समावेशन त्रुटि कम करना (आर्थिक सर्वे 2016-17) यथा नंदन नीलेकणि - आधार प्रोजेक्ट
- सरकारी योजनाओं में विशेषज्ञता का लाभ यथा - मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (राजस्थान) में श्रीराम वेदिरे का योगदान

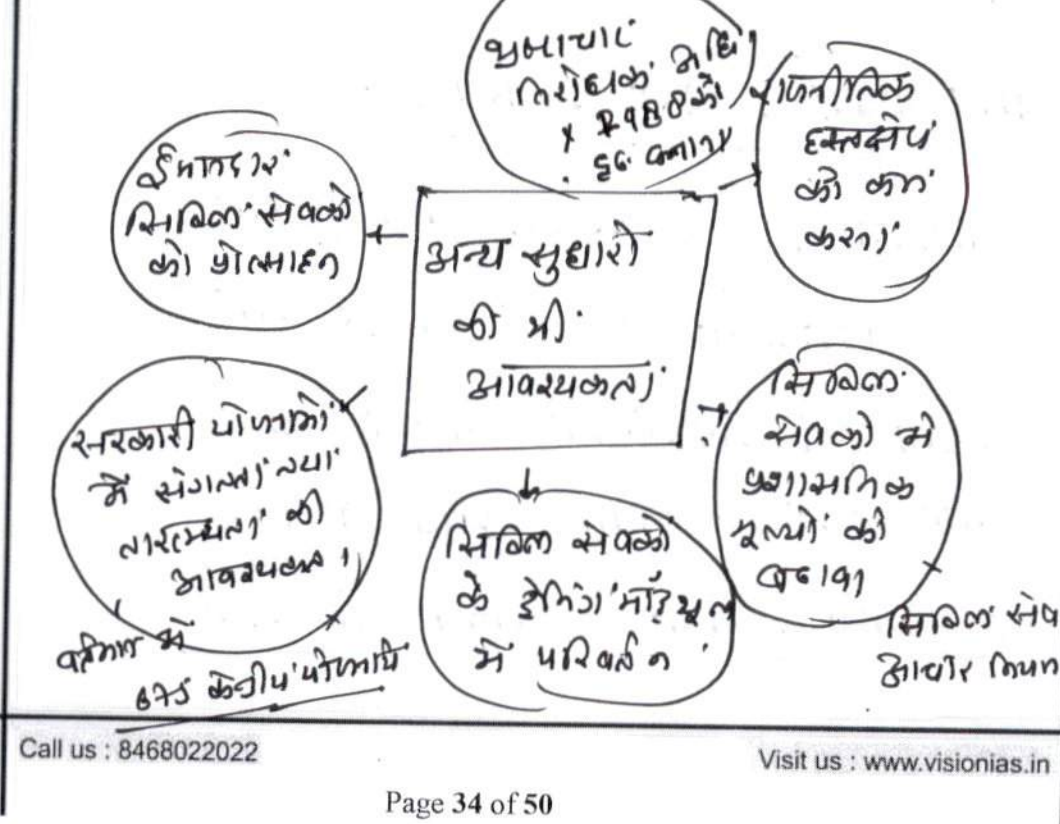

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

विधि आयोग द्वारा विशेषज्ञों की सेवा लेने का सुझाव दिया गया है परन्तु साथ ही वर्तमान में नौकरशाही में प्रस्तुत कमियों को दूर करने तथा उपयुक्त पद्धति अपनाने की आवश्यकता बताई गई है।

इस प्रकार पार्श्व प्रवेश के साथ अन्य सभी सुधारों को अपनाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Identifying the broad contours of the 'Transformation of Aspirational Districts' programme, explain how it adopts a novel strategy to address backwardness. **(250 words)** 15

'आकांक्षी जिलों के रूपांतरण' कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा की पहचान करते हुए, व्याख्या कीजिए कि यह पिछड़ेपन से निपटने के लिए किस प्रकार नवीन रणनीति अपनाता है।

नीति आयोग द्वारा देश के सबसे पिछड़े 115 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपनाया गया है जिसके अंतर्गत ~~ब~~ ~~क~~ समावेशी तथा संधारणीय विकास का उद्देश्य सर्वप्रमुख है।

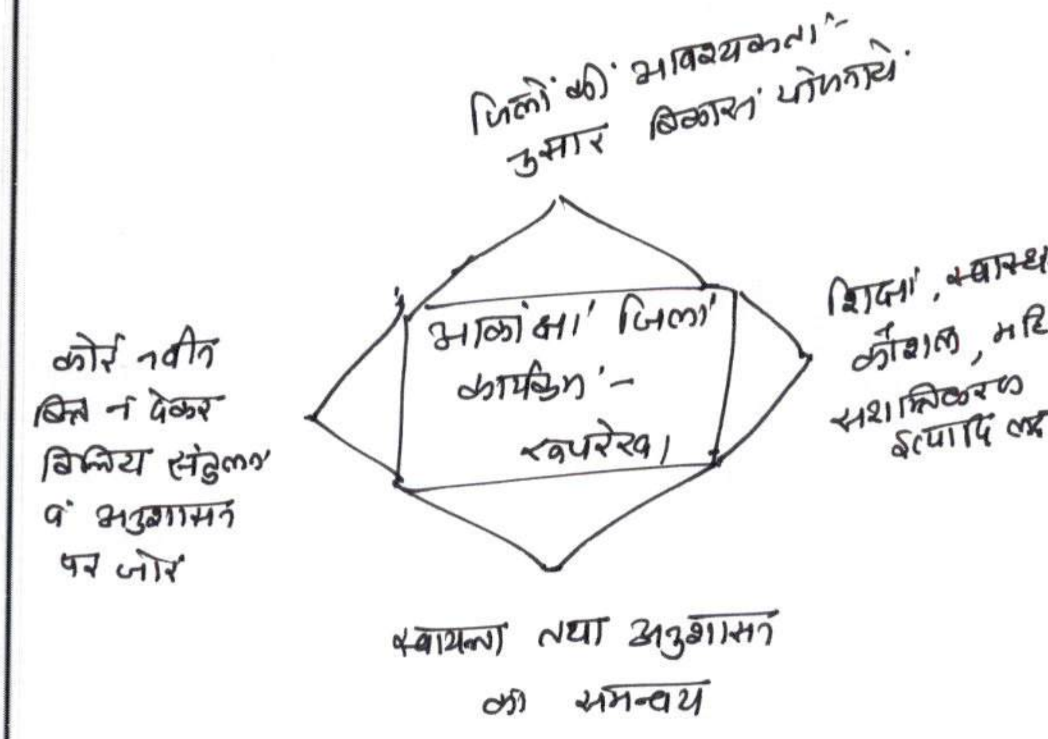

आकांक्षा जिला कार्यक्रम : नवीनता क्या

पुराने कार्यक्रम

- टॉप डाउन एप्रोच

- पिछड़े जिलों को अहसास कराना 'पिछड़ेपन' का
- वन साइज फिट ऑल दृष्टिकोण

आकांक्षा जिला कार्यक्रम

बॉटम अप एप्रोच

- संवेदनशीलता (जिलों को पिछड़ा नहीं आकांक्षी जिला कहा गया है)
- जिलों की क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार कार्यक्रम यथा बिहार की समस्या कुपोषण, पिछड़ापन जबकि पं. बंगाल की समस्या नक्सलवाद

आकांक्षी जिला कार्यक्रम : चुनौतियां

- पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों द्वारा मना अब तक 102 जिले
- वित्तीय प्रावधानों के अभाव में कारगर नहीं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह

- कार्यक्रम की सफलता हेतु सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत राज्यों तथा जिलों को अपने विशेष अनुभवों को अन्य जिलों से साझा किया जा सके यथा- बिजली की मोहल्ला व्यवस्था कार्यक्रम को तेलंगाना द्वारा अपनाना

- प्रशासनिक मशीनरी पर बिना अतिरिक्त दबाव तथा कार्यभार के राजनीतिक सहयोग यथा (विधायक, सांसद) लेना

इस प्रकार आकांक्षी जिला कार्यक्रम 'सबका साथ, सबका विकास' में आवश्यक कदम है

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. How did India fare on the Millennium Development Goals related to health? In this regard, identify the relevant Sustainable Development Goals and evaluate India's capacity to meet them. **(250 words)** 15

स्वास्थ्य से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? इस संबंध में, प्रासंगिक संधारणीय विकास लक्ष्यों की पहचान कीजिए और उन्हें पूरा करने में भारत की क्षमता का मूल्यांकन कीजिए।

भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से विकासशील तथा 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथापि स्वास्थ्य मानकों पर भारत का प्रदर्शन निम्न स्तर ही रहा है।

~~वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के~~ अ

स्वास्थ्य से संबंधित सहस्राब्दी लक्ष्य व भारत का प्रदर्शन —

कुपोषण

- लक्ष्य - 2030 तक कुपोषण तथा गरीबी हटाना।
- वास्तविकता - वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 40% बच्चों में स्टंटिंग की समस्या, विश्व के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

बीमारियाँ – गैर संचारी

- लक्ष्य – गैर संचारी बीमारियां तथा कैंसर जैसे का उन्मूलन
- वास्तविकता – अभी भारत में गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामले

संचारी तथा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां

- लक्ष्य – टीबी, हेपेटाइटिस, इत्यादि बीमारियां
- वास्तविकता – अभी भारत में सबसे ज्यादा टीबी मरीज

मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर

- लक्ष्य – मातृ मृत्यु 70 –
- वास्तविकता – MMR – 167/1लाख
  IMR – 40/1000

सरकार द्वारा किये गये प्रयास

- मिशन इन्द्रधनुष
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य का कार्यक्रम

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम (NACO)

भारत की क्षमता

- भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की ओर अग्रसर यथा केरल का IMR 7 है जो यूएस अमेरिका के बराबर
- भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में विशाल सम्भावनायें प्रमुख शोध व
- नीति आयोग द्वारा 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' (हेल्थ इंडेक्स) प्रतिस्पर्धी संघवाद के आधार पर रैंकिंग
- नीति आयोग द्वारा पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का प्रयास

इस प्रकार भारत को संधारणीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास की आवश्यकता है।

18. What are the different rights recognized under the Forest Rights Act, 2006? Highlight the gaps in the implementation of community forest rights and community forest resource rights granted under the Forest Rights Act. Also, suggest measures to address the current scenario. **(250 words)** 15

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विभिन्न अधिकार क्या हैं? वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के कार्यान्वयन में अंतरालों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, वर्तमान परिदृश्य को संबोधित करने के उपाय भी सुझाइए।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 जनजातियों तथा वनों में अन्य परम्परागत निवासियों हेतु समावेशी प्रयास है।

प्रमुख प्रावधान व अधिकार -

- लघु वनोपज इकट्ठा करने तथा उपयोग करने का अधिकार, यथा - शहद, लाख इत्यादि
- वन उत्पादों, लकड़ी काटने का अधिकार नहीं लेकिन गिरी हुई लकड़ियां लेने का अधिकार
- तथा ग्रामसभा को निर्णयों में भागीदार बनाने का प्रयास

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- वन क्षेत्र को अधिकार में रखने का उपयोग करने का अधिकार (विरासत में हस्तांतरणीय)

- सामुदायिक वन अधिकार तथा सामुदायिक वन संसाधनों के क्रियान्वयन में कमी

- वन अधिकारियों द्वारा वन वासियों के अधिकारियों को मान्यता देने से इंकार यथा नियमगिरि पहाड़ी मामला

- ग्राम सभा केवल हस्ताक्षरित कार्यों तक सीमित, वास्तविक विकेन्द्रीकरण नहीं

- आदिवासियों के साथ सामंजस्य तथा उनके लोगों के अधिकारों को मान्यता न देना यथा - हाल ही में महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में वन विभाग द्वारा मांग करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपाय

- वन अधिकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति की सुरक्षा के मध्य सामंजस्य बनाना चाहिये।
- आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना चाहिये।
- सामुदायिक वन प्रबंधन तथा सामुदायिक आरक्षों को प्रोत्साहित करना चाहिये
यथा - केरल

इस प्रकार वनवासियों तथा जैव विविधता दोनों में सामंजस्य बनाते हुए संधारणीय विकास का प्रयास करना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Progress in India-US ties has been accompanied by equally significant divergences on important issues. Examine in the context of recent developments. **(250 words)** **15**

भारत-अमेरिका संबंधों में प्रगति समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर उल्लेखनीय असहमति के साथ हुई है। हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

भारत - अमेरिका शीत युद्ध पश्चात प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर-कर सामने आये हैं।

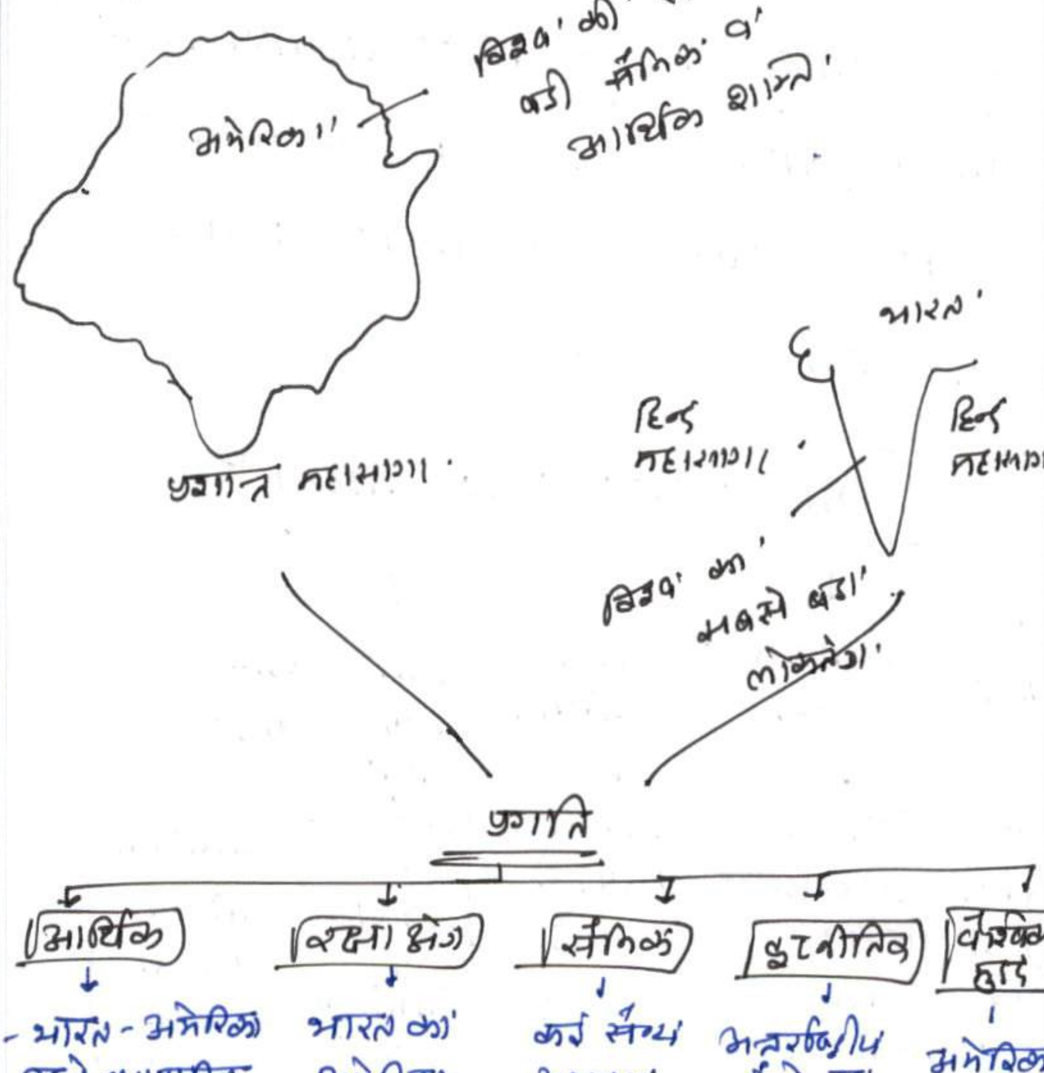

प्रगति

आर्थिक	रक्षा क्षेत्र	सैनिक	कूटनीतिक	वैश्विक मुद्दे
- भारत-अमेरिका बढ़ते व्यापारिक सम्बन्ध	भारत का अमेरिका से बढ़ता रक्षा आयात	कई सैन्य अभ्यास, मालाबार अभ्यास	अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सहमति	अमेरिका की नई सैन्य नीति - भारत नेट प्रोवाइडर

भारत : अमेरिका सम्बन्ध - प्रगति का स्वरूप

- भारत - अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एकजुट तथा पाकिस्तान को इस सम्बन्ध में जिम्मेदार मानना
- भारत - अमेरिका प्रमुख वैश्विक व्यापार भागीदार।
- हिन्द - प्रशान्त क्षेत्र में बढ़ती सहभागिता तथा पायरेसी, समुद्री चोरी की घटनाओं पर रोक
- क्वॉड (QUAD) के माध्यम से चीन को प्रतिसंतुलित करना

भारत : अमेरिका ⇒ असहमति

- **जलवायु परिवर्तन** — अमेरिका - पेरिस संधि (2015) से हटा जबकि भारत इसके पक्ष में
- **व्यापारिक मुद्दे** — WTO में उत्तर-दक्षिण संघर्ष; भारत के सोलर योजना को USA द्वारा चुनौती
- **वैश्विक संस्थायें** — मानवाधिकार परिषद से अमेरिका का निकलना; भारत वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण के पक्ष में।
- **ईरान तथा मध्य पूर्व** — ईरान से तेल व्यापार तथा कूटनीतिक सम्बन्धों पर अमेरिका को परेशानी
- **रूस-चीन** — भारत द्वारा रूस व चीन से सम्बन्धों को संतुलित करने के प्रयास (SCO व ब्रिक्स) का अमेरिका विरोध

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हाल की घटनायें

- ट्रंप द्वारा यूनेस्को, मानवाधिकार परिषद, TPP से बाहर निकलना
- भारत को ईरान पर प्रतिबंध लगाने हेतु पाबन्द करना
- भारत को व्यापार अधिशेष का दोषी ठहराना, संरक्षणवादी नीति
- H1-B वीजा पर प्रतिरोध

इस प्रकार भारत-अमेरिका में सहमति होने के बावजूद असहमति के पर्याप्त उदाहरण हैं तथा भारत अपनी बहुसंरेखण नीति के माध्यम से वैश्विक शक्तियों में संतुलनकर्ता तथा सहमति निर्माता के रूप में उभर रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Despite bonhomie, the structural differences between Indian and Israeli national security situations, their worldviews and absence of explicitly shared enemies limit stronger strategic rapprochement. Critically discuss.

(250 words) 15

सौहार्दपूर्ण संबंधों के बावजूद, भारतीय और इज़राइली राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितियों के मध्य संरचनात्मक अंतर, उनके वैश्विक दृष्टिकोण और स्पष्ट रूप से साझा शत्रुओं की अनुपस्थिति मजबूत रणनीतिक मैत्री को सीमित करती है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए।

भारत - इजरायल सम्बन्ध 1992 पश्चात रणनीतिक रूप से भागीदारी तथा विकासोन्मुख रहे हैं।

भारत इजरायल सौहार्द सम्बन्ध -

कृषि - इजरायली कृषि तकनीकों के सहयोग से मरुस्थलीय क्षेत्र में फसल उत्पादकता बढ़ाना
- ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई

रक्षा - रक्षा क्षेत्र में इजरायल भारत का बड़ा भागीदार यथा - अवाक्स डिफेंस सिस्टम
- इजरायल के साथ मिलकर 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा

व्यापार - भारत - इजरायल व्यापार में लगातार बढ़ोतरी
भारत द्वारा जेम्स, ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का निर्यात, इजरायल रक्षा उत्पादों व मशीनों का।

अंतरिक्ष क्षेत्र - इसरो तथा इजरायल अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा साझा अंतरिक्ष मिशन

भारत - अमेरिका : असहमति के बिन्दु

संस्थागत रक्षा अंतर

क्योंकि इजरायल का 'रक्षा शैली' आक्रामक है अर्थात युद्ध की परिस्थिति में प्रथम वार जबकि भारत की रक्षानीति शांतिपूर्ण है अर्थात 'पहले परमाणु उपयोग' नहीं।

- इजरायल आक्रामक मिसाइलों पर जोर देता है जबकि भारत कवच / रक्षा मिसाइलों पर यथा भारत का AAD कार्यक्रम

वैश्विक दृष्टिकोण अंतर

इजरायल का वैश्विक दृष्टिकोण (यथार्थवाद) तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं यथा मानवाधिकार, यूएन का अपने हित हेतु प्रयोग करता है जबकि भारत विश्व शांति तथा संस्थाओं की स्थापना का हिमायती है।

- अमेरिका इजरायल का प्रमुख भागीदार जबकि भारत रूस, चीन, अमेरिका तीनों में शक्ति संतुलन के पक्ष में।

साझा शत्रुओं की अनुपस्थिति

इजरायल फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता जबकि भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता।

- इजरायल मध्य-पूर्व देशों को शत्रु समझता है जबकि भारत के उन देशों से कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

क्या करना चाहिये / सुझाव

- भारत- इजरायल को असहमति के मुद्दो को कम करके सहमति के बिन्दुओं को बढाना चाहिये।
- भारत- इजरायल में कृषि, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, रक्षा क्षेत्र जैसे सामान्य महत्व के मुद्दों को बढावा दिया जाना चाहिये।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुता व स्थायित्व के साथ वैश्वीकरण का अधिकतम लाभ उठाने हेतु भारत-इजरायल सम्बन्ध लगातार प्रयासरत हैं।